E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2023; 5(3): 10-11
Received: 13-12-2022
Accepted: 18-01-2023

निरंजन कुमार भारती
शोध छात्र स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान विभाग, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
निरंजन कुमार भारती
शोध छात्र स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान विभाग, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

पंचायती राज व्यवस्था से महिला सशक्तिकरण

निरंजन कुमार भारती

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2023.v5.i3a.941

प्रस्तावना

बुनियादी स्तर पर महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने के लिए सबसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कदम उठाया था और 1992 में संविधान में 73वें संशोधन करके महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण संभव किया था।

आजादी के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते हुए संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक हैं।

ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में कुछ वर्षों पूर्व महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएँ निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए यह नया क्षेत्र है तथा सामन्ती मनोवृति से जकड़े हुए पुरूष प्रधान समाज में इन्हें पुरूषों के कई प्रतिरोधों का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं में अशिक्षित होने के बाद भी अपने आपको ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक के रूप में कम समय में ही सिद्ध कर दिया है।

जिस समाज में महिलाओं का घर से निकलना तक अच्छा समझा नहीं जाता है, उस ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को भी आरक्षण से निश्चय ही एक नयी चेतना का संचार हुआ है।

निरक्षरता, गरीबी तथा अंधविश्वास के बंधनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी अब जरूरी हो गया है कि कम से कम शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए अनमने ढ़ंग से ही सही, महिलाओं को चुनाव में खड़ा तो कर रहे हैं। आरक्षण की इस व्यवस्था से महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु एक मौन–क्रान्ति के युग का प्रारम्भ हो गया है, जिसे आने वाले वर्षों में पच्चास प्रतिशत आरक्षण के बाद और अधिक साकारात्मक परिणाम निश्चय ही सामने आयेंगे। आज भले ही पंचायतों में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है, परन्तु यह धारणा बिल्कुल गलत है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने के मार्ग में अड़चनें पैदा करने का ही प्रयास किया गया। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है, उन्होंने इसका पूरा–पूरा उपयोग किया है। विभिन्न राज्यों में पंचायत संस्थाओं के चुनाव से इस बात की पुष्टि हो जाती है।

बिहार के पंचायत राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तथा पंचायत चुनाव में लगभग 55 प्रतिशत प्रतिनिधियों की जीत से जो पंचायतों का स्वरूप बदला है, उसकी पृष्ठभूमि में अब मात्र यह बताना काफी नहीं होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका क्या है, बल्कि अब खुद पंचायतों के सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका क्या होने जा रही है यह देखना भी बहुत रोचक होगा।

जीवकोपार्जन और संतानोत्पति की दोहरी भूमिकाओं के बीच खड़ी महिलाओं की, माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में पारिवारिक भूमिकाएँ अच्छी तरह परिभाषित है जिन्हें वे अनन्तकाल से सफलतापूर्वक निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त आज की दुनियाँ में प्रायः हर क्षेत्र में हर स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन का लोहा मनवाया है। परन्तु, किसी गणतंत्र की संवैधानिक संस्था के बहुमत वाले वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभाने का मौका महिलाओं को पहली बार प्राप्त हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभाने का मौका महिलाओं को पहली बार प्राप्त हुआ है। महिला के लिए एक वर्ग के रूप में नया एक अनोखी एवं अचानक आई स्थिति है।

इसमें चुनौतियाँ भी हैं और खतरे भी। बड़ी चुनौती यह है कि अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ–साथ अब महिलाओं को एक वर्ग के रूप में अपनी सूझ–बूझ एवं निर्णय लेने की क्षमता दिखानी होगी।

साथ ही सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिवद्धता भी सिद्ध करनी होगी। इतनी बड़ी सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का साक्षर न होना थोड़ी मुश्किल तो पैदा करती है, रूकावट नहीं, क्योंकि जिस समझदारी एवं सूझ–बूझ की आवश्यकता इस नई भूमिका को निभाने में है उसमें शिक्षित होने एक सहूलियत तो है पर उसका अभाव अड़चने पैदा नहीं कर सकती।

बिहार के संदर्भ में देखें तो ग्राम / वार्ड स्तर पर कुल 92998 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 55 प्रतिशत भागीदारी के साथ 59933 महिला जनप्रतिनिधि हैं। वहीं ग्राम कचहरी में भागीदारी के लिए ग्राम / वार्ड स्तर पर कुल निर्वाचित 76710 मेम्बर में से 51717 (56 प्रतिशत) महिला पंच के रूप में निर्वाचित हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित 6674 मुखिया में से 4219 महिलाएँ मुखिया हैं। उसी प्रकार 4008 महिलाएँ सरपंच निर्वाचित हैं। पंचायत समिति में 5671 महिलाएँ प्रतिनिधि वर्तमान में निर्वाचित हैं।

पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तीकरण में महिला प्रतिनिधिगण कई मुद्दों में संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे प्रयास करके वर्तमान स्थिति में बदलाव ला सकती है।

एक माननीय समूह के रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायतों में समान प्रतिष्ठा, समान व्यवहार समान अवसर तथा समान ध्यान देकर उन्हें व्यवहार में बराबरी का दर्जा दिला सकती हैं। पुरूष वर्ग विशेषकर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार के पुरूष सदस्यों को महिलाओं की क्षमतावृद्धि में सहायक की भूमिका निभाने की जरूरत है। यह समय की माँग है। इसमें महिलाओं के आरक्षण की सार्थकता भी निहित है।

वैसे भी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए समय–समय पर केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से अनेक अधिनियम लागू किये गये हैं। इनकी छाया में महिलाएँ मजबूत होकर अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकती है। आवश्यकता है निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के साहस एवं व्यक्तिगत पहल की।

केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम

1. महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम–2005
2. हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम–1856
3. हिन्दू विधवा पुर्नविवाह (निरसन अधिनियम)–1983
4. हिन्दू महिला सम्पति अधिकार अधिनियम–1937
5. चिकित्सकीय गर्भ समापन, अधिनियम–1983
6. पूर्व गर्भधारण एवं पूर्व–प्रसव नेदारिक तकनीक (लिंग चुनाव विरोध) अधिनियम–1994
7. राष्ट्रीय महिला आयोग–1990
8. मातृत्व लाभ अधिनियम–1961
9. मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम–1986
10. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम–1939
11. परिवार न्यायालय अधिनियम–1984
12. दहेज निषेध अधिनियम–1961
13. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम–1956
14. महिला अशोभनीय प्रतिनिधित्व (निशेध अधिनियम)–1986
15. सती प्रथा (निवारण) अधिनियम–1987

पंचायत चुनाव से बिहार में महिलाओं की भागीदारी, उनका राजनैतिक प्रशिक्षण, उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता का उत्साह एक शोध का विषय हो सकता है। आज के संदर्भ में इसे अनेदेखी भी नहीं किया सकता। आज सरकार भी विभिन्न सेवाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था कर रही हैं।

संदर्भ

1. पंचायती राज व्यवस्था–पुस्तक
2. इंटरनेट
3. बिहार सरकार का गजट।
4. बिहार में ग्राम पंचायत, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।
5. बिहार में ग्राम पंचायत और सुशासन, सं. सीताराम सिंह, वही।
6. भारतीय महिलाओं की दशा, सुभाष शर्मा, आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा।
7. भारत में पंचायत राज, प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली।